फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW – 226001

पत्र सं0: 6022 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012– 32–मा0सं0प्र0–02/2007 दिनांक: 25 सितम्बर, 2012

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा सम्बन्धी विनियमों में संशोधन करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0: 18/2/81–का–2/2012, दिनांक 06.06.2012 द्वारा निम्नलिखित संशोधित नियमावली बनायी है :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,	1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली 2012 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 2 का संशोधन	2– उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
अधिकतम आयु सीमा	2– राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी।	अधिकतम आयु सीमा	2– राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष होगी : परन्तु जहाँ उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थी।

1– उत्पादन निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 2365–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2007–32– मा0सं0 प्र0–02/2007 दिनांक 5 सितम्बर 2007 द्वारा ऐसे समस्त पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये आयु सीमा 32 वर्ष थी, को बढ़ाकर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 99–विनियम/पाकालि/07–12–विनियम/89 दिनांक 13.8.2007 को अंगीकृत करते हुये पैंतीस वर्ष कर दी गई थी।

2– उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.09.2012 को 152वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कम में शासन द्वारा जारी अधिसूचना सं0 18/2/81–का–2/2012, दिनांक 06.06.2012 को निगम में अंगीकृत करते हुये नये आदेश निम्न प्रतिबन्ध के अधीन जारी किये जाते हैं :–

क्रमशः 2

(अ) उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 18/2/81-का-2/2012, दिनांक 06.06.2012 को निगम में अंगीकृत करते हुये ऐसे समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष हैं, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की जाती है।

(ब) बढ़ी हुयी आयु सीमा कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से मान्य होगी और इस प्रकरण में आदेश जारी होने के पूर्व के प्रकरणों में जिनमें विज्ञापन/सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है, उनमें अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो तत्समय विद्यमान नियमों में लागू थी।

(स) इस संशोधन के अंगीकृत किये जाने से सभी संगत सेवा नियमावलियां, जिनमें इस प्रकार का उपबन्ध है, वह इस हद तक कार्यालय ज्ञाप जारी होने की तिथि से संशोधित मानी जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0: 6022 -(1)-मा0सं0प्र0-02/उनिलि/2012, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।।
(2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/ कासिमपुर(अलीगढ)/ पनकी(कानपुर)।
(5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा0सं0)/(मा0सं0-02/03)/(कारपोरेट स्ट्रेटजी)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/ (आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(10) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), कक्ष सं0: 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।
(11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(13) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(14) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन)/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन)/कार्मिक अधिकारी ,उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(15) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(विनय प्रकाश कटियार) 25/9/2012
उप महाप्रबन्धक(02)